घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005

हैंडबुक

मार्च 2013

प्रस्तुति

HRLN

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क

576, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

फोन: +91-11-24379855/56, माध्यम हेल्पलाइन: +91-11-24370503

ई-मेल: publications@hrln.org, wji.delhi@hrln.org

वेबसाइट: hrln.org

घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005

महिलाएं आज भी बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज का ताना-बाना घर से लेकर पुलिस थाने और कचहरी तक ऐसा है कि महिला हर जगह पीड़ित बनकर ही रह जाती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज न उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना और घर छिन जाने का डर होता है। वर्ष 2005 से पहले घरेलू हिंसा से लड़ने के नाम पर हमारे पास 498ए और 304बी जैसी धाराओं की व्यवस्था थी जो कि देहज प्रताड़ना और दहेज हत्या से महिलाओं को राहत देने वाली धाराएं थीं। लेकिन इनका क्रियान्वयन कई कारणों से नहीं हो पाता था और इनके तहत विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा की घटनाएं कवर नहीं हो पाती थीं। नजीता यह हुआ कि घरों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा न सिर्फ नजरअंदाज होती रही बल्कि साल दर साल महिलाएं अपनी जान से हाथ धोती रहीं।

वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम महिलाओं और महिला अधिकारों पर काम कर रहे संगठनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया और इस अधिनियम को प्रगतिशील अधिनियम की संज्ञा से नवाजा भी गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर महिलाओं के साथ लगभग सभी प्रकार की हिंसा को न सिर्फ परिभाषित किया गया है बल्कि समस्या के अनुरूप घर के अंदर सुरक्षा का अधिकार, निवास का अधिकार जैसी राहतों को शामिल किया गया है। महिलाओं को ऐसी व्यवस्था बड़ी समस्या से निजात दिलाती है। मगर अफसोस है कि अभी तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। प्रशासन का असंवेदनशील रवैया इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने में चुनौती बना हुआ है।

आइए जानें कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम किसा प्रकार से महिलाओं और लड़कियों को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करता है।

यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करता है

घरेलू हिंसा अधिनियम में बहुत ही स्पष्ट प्रकार से घरेलू हिंसा, शिकायत कौन कर सकता है और शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है, को परिभाषित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

घरेलू हिंसा की परिभाषा

किसी पुरुष या उस के रिश्तेदार द्वारा महिला, जो कि उसके रिश्ते में थी या है, को शारीरिक, मानसिक, यौनिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंर्तगत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तोदार को परेशान या प्रताड़ित किया जाना भी आता है।

स्पष्टीकरण

शारीरिक क्षति से अभिप्राय -

- महिला को किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना।
- ऐसा कोई भी कार्य करना जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो या ऐसी आशंका पैदा करता हो।
- ऐसा कोई व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो।
- इसके अंतर्गत हमला या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल शामिल है।

लैंगिक क्षति/यौनिक शोषण -

- ऐसा कोई भी यौनिक आचरण/व्यवहार जो महिला की गरिमा को खत्म करता हो।
- महिला का अपमान या तिरस्कार करता हो।
- महिला के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाना भी घरेलू हिंसा में शामिल है।

मौखिक और भावनात्मक रूप से शोषण -

ए) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से बच्चे/संतान या लड़का के न होने के संबंध में अपमान/ताने या उपहास।

बी) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव/संबंध हो, या लगाव हो।

आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना -

ए) ऐसे सभी आर्थिक, वित्तीय संसाधनों जिसके लिए महिला किसी विधि/कानून या परम्परा/रूढ़ि के अनुसार हकदार है, उसका प्रयोग न करने देना

- ❖ महिला व उसके बच्चों की घरेलू आवश्यकताओं का पूरा न करना।
- ❖ स्त्रीधन, महिला द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से स्वामित्व वाली संपत्ति, साझी गृहस्थी के प्रयोग से उसे रोकना और उसके रख-रखाव से संबंधित किराया और खर्च उसे देने से रोकना/वंचित करना।

बी) घरेलू सामान को बेचना

- ❖ संपत्ति, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और इनके बराबर अन्य सम्पत्तियों पर -जिन पर महिला का पूर्ण या आंशिक अधिकार हो या फिर जिन से महिला का हित सुरक्षित रहता हो- को महिला की गैरमौजूदगी और बिना सहमति के बेचना।
- ❖ संपत्ति किसी और को देना या कब्जा करना या किसी भी तरीके से महिला को उसके इस्तेमाल से वंचित करना।

किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है - प्रत्यर्थी (रेस्पोन्डेन्ट)

- प्रत्यर्थी (रेस्पोन्डेन्ट) का अभिप्राय ऐसे पुरुष/व्यक्ति होता है जो महिला की घरेलू नातेदारी से हो, या रहा है जिसके खिलाफ महिला ने, इस कानून के अंतर्गत राहत की मांग की है।
- इस कानून के अंतर्गत महिला केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ ही कानूनी कार्यवाही कर सकती है। चाहे वह उसके साथ महिला का किसी प्रकार की घरेलू रिश्ता हो (शादी से पहले या शादी के बाद)। महिला यदि किसी व्यक्ति के साथ बिना शादी के शादी जैसे संबंधो में किसी भी समय रही हो तो वह व्यक्ति भी इस परिभाषा में शामिल है।

शिकायत कौन कर सकता है?

- संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है। चाहे वह महिला से संबंधित हो या नहीं।

घरेलू रिश्ता

घरेलू रिश्ता उन दो लोगों में होता है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं और उन दोनों अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध चाहे वह समरक्तता, या दत्तक ग्रहण से जुड़ा हो या

फिर वे दोनों संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते आये हों।

घरेलू हिंसा अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी जिम्मेदार हैं

- **संरक्षण अधिकार**- इस कानून के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया जिसकी जिम्मेदारी घरूले हिंसा से पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं जैसे तुरंत चिकित्सा तथा कानूनी सहायता दिलवाने की होगी।
- **पुलिस अधिकारी**- इस कानून के अर्न्तगत प्रत्येक थाने के थानाध्यक्ष (एसएचओ) को भी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं दिलवाने के निर्देश है।
- **सेवा प्रदाता**- इस कानून के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर सरकारी संस्थाओ को सेवा प्रदाता के रूप में चुना जाएगा जिनक जिम्मेदारी होगी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं और मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाना।
- **मजिस्ट्रेट/जज**- इस कानून के जज भी विशेष परिस्थितियों मे किसी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वत: कार्यवाही कर सकता है।

(ये सभी अधिकारी घरेलू हिंसा का संदेह होने पर स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं)

शिकायत करने के निम्न प्रकारों को शामिल किया गया है -

- फोन पर की जा सकती है
- ई-मेल भेजकर की जा सकती है
- लिखित रुप में की जा सकती है।

घरेलू हिंसा की शिकायत कब की जा सकती है?

- घरेलू हिंसा होने के बाद।
- घरेलू हिंसा होते समय।
- घरेलू हिंसा होने की आशंका होने पर।

घरेलू हिंसा की शिकार महिला की सहायता कौन कर सकता है?

इस कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार महिला को राहत प्रदान करवाने के लिए मुख्य रूप से संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया है।

(ए) संरक्षण अधिकारी (पीओ)

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जितने कि जिले के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक लगे। संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिला होंगी।

संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य

- मजिस्ट्रेट को इस कानून के अंतर्गत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना
- मजिस्ट्रेट को, घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर और उस पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अग्रेषित/पहचान देना, जो कि उसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत हो।
- पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत करना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना
- यदि महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है। उसे उपलब्ध करना, व रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना।
- पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो, उसका चिकित्सीय परीक्षण करना, व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को एक प्रति देना।
- स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सेवा प्रदाताओं, काउंसलर (सलाहकारों, और आश्रयगृहों के नाम तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाले अस्पतालों के नामों की सूची बनाना।
- पीड़िता को यह विश्वास दिलाना कि उसे मजिस्ट्रेट से सुरक्षा का आर्डर अवश्य प्राप्त होगा।

(बी) सेवा प्रदाता

सेवा प्रदाता उस संस्था को नियुक्त किया जायेगा जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।

सेवा प्रदाता का उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। वे इस कानून/अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं।

सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

- पीड़ित महिला के अधिकारों के विषय में अवगत करना, मुफ्त कानूनी सुविधा दिलाना।
- यदि पीड़ित महिला सुरक्षित आश्रयगृह चाहती है तो उसे उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना।
- पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट घरेलू हिंसा से पहुंची हो तो, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को देना।

अधिनियम/कानून के अंतर्गत महिला प्राप्त होने वाली सुविधा/आदेश/राहत

1. धारा-14 (परामर्शदाता से परामर्श लेने को निर्देश)

मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत अगर महिला चाहे तो, प्रत्यर्थी या पीड़ित महिला को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में योग्यता और अनुभव रखता है, परामर्श लेने को निर्देश दे सकता है।

2. धारा-16 (कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना)

यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण और यदि महिला चाहे तो वह इस कानून के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही बंद कमरे में करने की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों मे कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकता है।

3. धारा-17 (साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार)

घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी/ साझे घर में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई हक, फायदा, हित रखती हो या नहीं। उसे प्रत्यर्थी को महिला को साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता है।

4. धारा-18 (संरक्षण का अधिकार)

मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी को एक बार सुनने के पश्चात, या यह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है महिला के पक्ष में संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है।

- ❖ घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण/व्यवहार को करने पर रोक।
- ❖ घरेलू हिंसा के कार्यों के करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर रोक।

- पीड़ित महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला का बार-बार आना-जाना है उस पर प्रत्यर्थी के आने में रोक।
- पीड़ित महिला से प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के सम्पर्क पर रोक/ इसके अंतर्गत मौखिक, लिखित, दूरभाषीय/फोन पर बातचीत या इलैक्ट्रोनिक (ई-मेल) सम्पर्क भी सम्मिलित है।
- सम्पत्ति का हस्तांतरण करने, बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन (उपयोग) करने जिसमें दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग, उपयोग करने (जो दोनों पक्षों नाम पर था) पर रोक।
- पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी दिया जा सकता है।

5. धारा-19 (निवास का आदेश)

मामले का समाधान करते समय, जब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाये कि घरेलू हिंसा हुई है, मजिस्ट्रेट महिला को उसी घर में या प्रत्यर्थी के खर्चे पर कहीं और निवास का आदेश दे सकता है। निवास आदेश मे निम्न प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं-

- साझी गृहस्थी से महिला को न निकालने का आदेश।
- प्रत्यथी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं हटने का आदेश।
- पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी/घर के उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है, उसमें प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदार के प्रवेश पर रोक।
- पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के स्तर के आनुकल्पिक वास (किराये के घर) की सुविधा दिलाना जैसी कि वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी।
- महिला को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है, कब्जा लौटाने के आदेश देना।

6. धारा-20 (आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत)

पीड़ित महिला व उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिये आर्थिक सहायता/वित्तीय राहत देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता।

- कमाई की हुई हानि की पूर्ति।
- चिकित्सीय खर्च की पूर्ति।
- पीड़ित महिला के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नुकसान, हटाये जाने के कारण हुई हानि की पूर्ति का आदेश।

7. धारा-21 (अभिरक्षा का आदेश)

- पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है।
- यदि मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की मुलाकात बच्चों/संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है तो वह प्रत्यर्थी के बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा सकता है।

8. धारा-22 (हर्जाना/मुआवजे का आदेश)

इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा (मानसिक यातना, भावनात्मक चोट भी सम्मिलित है) के एवज में प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को मुआवजा/हर्जाना देने के आदेश भी दे सकेगा।

9. धारा-23 (एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति)

यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा है या की है अथवा करने की आशंका है तो वह शपथपत्र को संज्ञान में रखते हुए धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के तहत एकपक्षीय आदेश दे सकता है।

10. धारा-24

पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए।

11. धारा-29 (अपील)

पीड़ित महिला अथवा प्रत्यर्थी को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

12. धारा-31 (प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड)

अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना, इस कानून के अन्दर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को एक साल की सजा या बीस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

संरक्षण अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली घरेलू घटना की रिपोर्ट

फॉर्म-1

(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17(3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9(बी और धारा 37(2) (सी) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1. परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे

(1) शिकायतकर्ता/पीड़ित महिला का नाम:

(2) आयु:

(3) साझी गृहस्थी का पता:

(4) वर्तमान पता:

(5) दूरभाष नं., यदि कोई हो:

2. प्रत्यार्थियों के ब्यौरे

क्र. सं.	नाम	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नंबर यदि कोई हो

3. व्यथित व्यक्ति की संतानों के, ब्यौरे यदि कोई हों

(क) बच्चों की संख्या:

(ख) बच्चों का ब्यौरे:

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं

4. घरेलू हिंसा की घटनाएं

क्र. स.	हिंसा की तारीख, स्थान और समय	वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की	हिंसा का प्रकार	टिप्पणियां
			(1) शारीरिक हिंसा	
			किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
			(2) यौनिक हिंसा (कृपया लागू होने वाले स्तंभ के सामने (सही) चिन्हित करें)	
			☐ बलपूर्वक संभोग ☐ अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना ☐ आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना ☐ लैंगिक प्रकृति का, दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृपया नीचे दिए गए खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	
			(3) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार	
			☐ चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग/कलंक लगाना ☐ दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना ☐ उपहास करना ☐ लड़का न पैदा करने के लिए अपमानित करना ☐ बच्चा न पैदा करने के लिए अपमानित करना ☐ नीचा दिखाने वाले और आमानित करने वाले शब्द ☐ मजाक उड़ाना ☐ निंदा करना	

			☐ आपको विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना ☐ आपको नौकरी करने से रोकना ☐ किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना ☐ अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने को मजबूर करना ☐ आपको उसकी/उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना ☐ कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	
(4) आर्थिक बल प्रयोग				
			☐ आपको या आपकी संतानों को ☐ भरण-पोषण के लिए धन न देना ☐ आपको या आपकी संतानों को खाना, कपड़े, दवाईयां आदि उपलब्ध न करवाना	
(5) दहेज संबंधी उत्पीड़न				
			☐ दहेज के लिए की गई मांग कृपया विनिर्दिष्ट करें: ☐ दहेज से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा, कृपया विनिर्दिष्ट करें: ☐ क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्ररूप के साथ संलग्न है हां ☐ नहीं ☐	
(6) आपके या आपकी संतानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित कोई अन्य सूचना				

(शिकायतकर्ता/पीड़ित महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेजों का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्रा		
चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6. वह आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है

क्रसं.	आदेश	हां/नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भारण-पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकार का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. ऐसी सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता हो

क्रसं.	उपलब्ध सहायता	हां/नहीं	सहायता की प्रवृति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रयगृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएं		
(6)	विधिक सहायता		

8. किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेशः

जहां कहीं इस प्ररूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दंड संहिता या

किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहां पुलिस अधिकारी –

ए) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दंड संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज करके दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकती हैं(

बी) यदि व्यथित व्यक्ति दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करना नहीं चाहती है तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अतंर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित व्यक्ति, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के संबंध होने के कारण घरेलू हिंसा के विरू) संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती है और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इतिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जांच के लिए लंबित रखा जाए।

सी) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है तो उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच की जाएगी।

स्थान :

तरीख :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)

नाम:

पता:

(मुहर)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
3. पीड़ित महिला
4. मजिस्ट्रेट

धारा 12 के अंतर्गत सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन

फॉर्म-II

(नियम 6 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय

....

....

....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
(2005 का 43) की धारा .... के अधीन आवेदन

यह दर्शित किया जाता है :

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा .... के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा रहा है:

ए) व्यथित व्यक्ति ☐

बी) संरक्षण अधिकारी ☐

सी) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ☐

(जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

2. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय परिवाद/घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान ले और ऐसे सभी कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाये:

ए) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और/या

बी) धारा 19 के अधीन निवास आदेश पारित करे और/या

सी धारा 20 के अधीन वित्तीय अनुतोष संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देश दे और/या

डी) अधिनियम की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करे और/या

ई) धारा 22 के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निर्देश दे/और या

एफ) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करे जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे

जी) कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाये।

3. अपेक्षित आदेश

(i) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेशः

- ☐ आवेदन के स्तंभ 4 (ए)/(बी)/(सी/(डी)/(ई)/(एफ)/(जी) के निबंधानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यों को निषेध करना।
- ☐ प्रत्यर्थी को विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यस्थल पर प्रवेश करने से निषेध करना।
- ☐ आपको आपकी नौकरी के स्थान पर जाने से रोकने को निषेध करना।
- ☐ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को आपकी संतानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने से निषेध करना।
- ☐ आपको आपके विद्यालय जाने से रोकने को निषेध करना।
- ☐ प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने से निषेध करना।
- ☐ प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रमण को निषेध करना।
- ☐ प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैंक लाकर/खातों के प्रचालन को निषेध करना और व्यथित व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना।
- ☐ प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/संबंधियों/किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरुद्ध हिंसा रोकने के लिये, दूर रहने का निर्देश देना।
- ☐ कोई अन्य आदेश, कृपया उल्लेख करें ☐

(ii) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,

- ☐ मुझे साझी गृहस्थी से बेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश।
- ☐ साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें निवास करती हूं, प्रवेश करने का आदेश।
- ☐ साझी गृहस्थी से मुझे अलग/वंचित/बाधित करने से रोकने का आदेश।
- ☐ साझी गृहस्थी में प्रत्यर्थी के अधिकारों को समाप्त करना।
- ☐ मेरे निजी चीजबस्त तक मेरी पहुंच जारी रखने का हकदार बनाने का प्रत्यर्थी को आदेश।
- ☐ ऐसी स्तर की वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिये किराये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कोई आदेश देना।
- ☐ कोई अन्य आदेश, कृपया उल्लेख करें ☐

(iii) धारा 20 के अधीन आर्थिक राहत/सहायता

- ☐ उपार्जन/अर्निंग की हानि के बाबत दावा की गई रकम रु. ☐
- ☐ चिकित्सीय खर्चों की बाबत दावा की गई रकम रु. ☐
- ☐ पीड़ित महिला के नियंत्रण से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाये जाने के कारण हुई हानि की बाबत दावा की गई रकम रु. ☐
- ☐ खंड 10 (सी) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शारीरिक या मानसिक उपहति दावा की गई रकम रु. ☐
- ☐ कुल दावा की गई रकम रु. ☐
- ☐ कोई अन्य आदेश, कृपया उल्लेख करें ☐

(iv) धारा 20 के अधीन वित्तीय राहत/सहायता

प्रत्यर्थी को आर्थिक सहायता के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निदेश देना:

- ☐ खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएं

  प्रतिमाह रु. ☐
- ☐ विद्यालय की फीस और उससे संबंधित अन्य खर्चे

  प्रतिमाह रु. ☐

☐ गृहस्थी के खर्चे प्रतिमास रु. ☐

☐ कोई अन्य व्यय प्रतिमाह रु. ☐

☐ कुल प्रतिमाह रु. ☐

☐ कोई अन्य आदेश, कृपया उल्लेख करें ☐

(v) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश

प्रत्यर्थी को संतान या संतानों की अभिरक्षा:

☐ पीड़ित महिला को, ☐ उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा को सौंपने का निर्देश देना ☐

(vi) धारा 22 के अधीन मुआवजा आदेश

(vii) कोई अन्य आदेश, कृपया उल्लेख करें ☐

4. पूर्व मुकदमेबाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

ए) ..... के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा ..... के अधीन लंबित है। ..... का निपटारा हो गया है, सहायता के ब्यौरा ☐

बी) ..... के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ..... के अधीन लंबित है। ..... का निपटारा हो गया है, सहायता के ब्यौरा ☐

सी) ..... के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लंबित है। ..... का निपटारा हो गया है, सहायता के ब्यौरा ☐

डी) .....के न्यायालय में हिन्दू दत्तक एवं भरणपोषण अधिनियम 1956 की धारा ..... के अधीन लंबित है। ..... का निपटारा हो गया है, सहायता के ब्यौरा ☐

ई) अधिनियम की धारा ..... के अधीन भरण-पोषण के लिये आवेदन अंतरिम भरण-पोषण रु. ☐ प्रतिमाह

स्वीकृत भरण-पोषण रु. ☐ प्रतिमाह

एफ) क्या प्रत्यर्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था

- ☐ एक सप्ताह से कम के लिये
- ☐ एक मास से कम के लिये
- ☐ एक मास से अधिक के लिये
- ☐ कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें ☐

जी) कोई अन्य आदेश ☐

प्रार्थना:

अत: आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किये गये अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा आदेश/ऐसे आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के दिये गये तथ्यों और परिस्थितियों में व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिये और न्याय हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान: परिवादी/व्यथित व्यक्ति

तारीख: मार्फत

काउंसेल

सत्यापन:

तारीख ..... को ..... (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

धारा 23 (2) के अधीन शपथपत्र

(नियम 6 (4) और नियम 7 देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23 (2) के अधीन शपथपत्र

न्यायालय ..... एम एम .....

पुलिस थाना

.....के मामले में .....

सुश्री ..... और अन्य परिवादी

बनाम

श्री ..... और अन्य प्रत्यथी

शपथपत्र

मैं .....पत्नी श्री .....

निवासी .....

पुत्री श्री ..... निवासी .....

वर्तमान में ..... पर निवास कर रही हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं और शपथ पर यह घोषणा करती हूं कि–

1. मैं, अपने स्वयं और मेरी पुत्री/पुत्र के ..... लिये फाइल किये गये संलग्न आवेदन में आवेदक हूं।
2. मैं ..... की नैसर्गिक संरक्षक हूं।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण मैं इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिये सक्षम हूं।
4. अभिसाक्षी ..... पर प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के साथ ..... से ..... तक रही थी।
5. धारा (धाराओं) ..... के अधीन सहायता प्रदान करने के लिये वर्तमान आवेदन में दिये थे ब्यौरे मेरे द्वारा/ मेरे अनुदेशों पर दर्ज किये गये हैं।

6. मुझे आवेदन की अंतर्वस्तुएं अंग्रेजी/हिन्दी/किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृपया उल्लेख करें) पढ़कर सुना दी गई है और उन्हें स्पष्ट कर दिया है।

7. उक्त आवेदन की अंतर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाये और संक्षिप्तता के लिये उनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।

8. आवेदक को प्रत्यर्थी ने (प्रत्यर्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है जिसके विरुद्ध संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।

9. प्रत्यर्थी ने आवेदक को धमकी दी है कि .....
.....
.....

10. संलग्न आवेदन में मांगे गए सहायता अति आवश्यक है क्योंकि यदि एकपक्षीय अंतरिम आधार पर उक्त सहायता प्रदान नहीं किये जाते हैं तो आवेदक को अत्यधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा की जा रहे उन घरेलू हिंसा के कार्यों की पुनरावृत्ति/ उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में द्वारा संलग्न आवेदन में शिकायत की गई है।

11. इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

तारीख .....मास.....20..... को .....
में सत्यापित किया गया। उपर्युक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

एचआरएलएन के कार्यालय

चंडीगढ़
2439, सैक्टर 37-सी, चंडीगढ़ (पंजाब)
फोन: 0172-4603177

शिमला
विमल सदन
कोऑपरेटिव बैंक के पास
शिमला-171002
फोन: +91-0177-2624629

धर्मशाला
नितिका शर्मा द्वारा अश्विनी अग्रवाल
म. नं. 227, जीएचएस के पास,
केबी चंदर मार्ग
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
फोन: +91-01892-223417

उत्तर प्रदेश
प्लॉट नंबर 183, एम-2-ए
एडीए कॉलोनी, नैनी, इलाहाबाद-211008
फोन: +91 7800560243

अल्मोड़ा
ईश्वरी भवन, रानीधारा रोड
वेस्ट पोखरखाली, अल्मोड़ा
फोन: +91 9412092159

कश्मीर
बीडी हाउस, खर्सू, राजबाग
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

पुलवामा
कोर्ट रोड पुलवामा
फोन: 09858479300

राजस्थान
सेंटर फॉर दलित राइट्स
112, सूर्या नगर, गोपालपुरा बाईपास
जयपुर, राजस्थान
फोन: +91-141-2504837

चेन्नई
मकान नं. 319/155, द्वितीय तल
लिंघी चेट्टी स्ट्रीट, जार्ज टाउन, पेरी'स
चेन्नई-600001
फोन: 044-42061867

बैंगलौर
नं. 20, पार्क रोड, तस्कर टाउन
शिवाजी नगर, बैंगलौर-560051
फोन: 080-65624757/22861152

कोची
58/340, मानवालन अपार्टमेंट्स
अमूल्य स्ट्रीट, कोची-18
फोन: 0484-2390680

तिरुअनंतपुरम्
टीसी-25/2952, ओल्ड जीपीओ बिल्डिंग
अंबुजावेलसम रोड, तिरुअनंतपुरम्
केरल-695001
फोन: 0471-2460652

आंध्र प्रदेश
मकान नं. 21-7-761
हाई कोर्ट पोस्ट ऑफिस के सामने
घांसी बाजार, हैदराबाद-500002
फोन: +91-040-24573094

कोलकाता
3, पार्बती चक्रवर्ती लेन
फ्लैट-1ए, सोहिनी अपार्टमेंट
कोलकाता-700026
फोन: +91-33-24546828

मणिपुर
एक्सिस बैंक बिल्डिंग, तृतीय तल
पावोना बाजार, इम्फाल-795001
फोन: 0385-2442165

एचआरएलएन के कार्यालय

उड़ीसा
प्लॉट नं. 1209-सी, द्वितीय तल
सीडीए, सैक्टर-6, कटक-14
फोन: 0671-2506189

अरुणाचल प्रदेश
क्वार्टर नं. 7, टाइप पांच
राज निवास एरिया, ईटानगर
फोन: 09436040383

गंगतोक
द्वितीय तल, महेश सैलून के ऊपर
सत्ये बाजार, अपर सिचे एरिया
गंगतोक-737101 (सिक्किम)
फोन: 03592-284351

नागालैंड
मकान नंबर 107
केनजू कॉलोनी, कोहिमा-797001
फोन: 08974933483

गुवाहाटी
मकान नं. 13, लैंब रोड
जोरपुखरी, उजान बार, गुवाहाटी-781001
फोन: 03592-284351

रांची
द्लौपची अपार्टमेंट्स
बानो मंजिल रोड, गलीखाना
रांची-834001

मुंबई
इंजीनियर हाउस, चौथी मंजिल 86
बौम्बे समाचार मार्ग, फार्टे मुंबई-23
फोन: 22676680

गुजरात
ए/7, रामेश्वरम टेनमेंट्स
रामदेवनगर, साईं बाबा मंदिर के पास
सेटेलाइट रोड, पोस्ट अम्बावाड़ी विस्तार
अहमदाबाद-380015
फोन: 09825033457

भोपाल/जबलपुर
फ्लैट नंबर 101, वर्तिका अपार्टमेंट्स
आशीष हॉस्पीटल के पास
होम साइंस कॉलेज रोड
नाथेर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

छत्तीसगढ़
मंगल भवन
मकान नं. 9/1125, प्रथम तल
व्यापार विहार रोड
(आस्था पेट्रोल पंप के पास)
बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
फोन: 09977897237